

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

क्रं./एफ-123/1/सा.प्र.वि./2021/1129

भिलाई, दिनांक 22.08.21

//आदेश//

श्री श्याम लाल पिता श्री बाबू लाल, चौकीदार की अधिवार्षिकी आयु दिनांक 13.08.2021 को 62 वर्ष पूर्ण होने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम 56 के अनुसार माह की अंतिम तिथि दिनांक 31.08.2021 को अपरान्ह से सेवानिवृत्त किया जाता है।

अपर आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./एफ-123/1/सा.प्र.वि./2021/1130

भिलाई, दिनांक 22.08.21

प्रतिलिपि :-

1. प्रशासक, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
2. आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
3. उपायुक्त 02, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
4. जोन आयुक्त जोन 01, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
5. लेखाधिकारी/जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
6. प्रभारी सहायक अधीक्षक भविष्य निधि शाखा, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
7. प्रोग्रामर डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं निगम की वेबसाईट में अपलोड हेतु।
8. प्रभारी स्थापना लिपिक, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. श्री श्याम लाल पिता श्री बाबू लाल, चौकीदार नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।

अपर आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई